"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-22/2013/तक.शि./42.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी निम्नानुसार नियम बनाती है। ये नियम एकीकृत छात्रवृत्ति नियम-2013 (पुनरीक्षित) कहलायेंगे तथा इस विषय से संबंधित समस्त नियमों तथा आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए दिनांक 1 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त होंगे, तथापि पुराने नियमों के अधीन दी जा रही छात्रवृत्ति को इन पुनरीक्षित नियमों के आधार पर उनकी शेष शैक्षणिक अवधि में बढ़ी हुई दर पर दी जायेगी।

1. इन नियमों में

1. 'छात्रवृत्ति' से तात्पर्य ऐसे मेधावी छात्रों को आगे अध्ययन जारी रखने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु किये गये नियतकालिक भुगतानों से है।

2. 'संतोषजनक प्रगति' से तात्पर्य प्रथम प्रयास में ही वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से है।

3. 'नियमित उपस्थिति' से तात्पर्य किसी छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित उपस्थिति के न्यूनतम प्रतिशत से है।

4. 'रिक्त छात्रवृत्ति' से तात्पर्य प्रारंभिक वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति से है, जो बाद में वृत्ति पाने वाले के वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने या वृत्ति की अवधि के दौरान उसके दुराचरण या उसके द्वारा अध्ययन के उस विशिष्ट पाठ्यक्रम को, जिसके लिये उसे छात्रवृत्ति दी गई थी, छोड़ देने के कारण वृत्ति रद्द कर दिये जाने से रिक्त हो जाए।

5. 'अर्हकारी परीक्षा' से तात्पर्य उस परीक्षा से है, जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर कोई भी उम्मीदवार अध्ययन के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये अर्ह हो जाये जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता आदि।

एक-वृत्ति दिये जाने संबंधी सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. इन नियमों के अधीन समस्त छात्रवृत्तियां इससे संलग्न अनुसूची में दी गई शर्तों के अधीन दी जायेगी और ये वृत्तियों के लिये उपलब्ध बजट व्यवस्था तक सीमित होंगी।

2. हर प्रकार की छात्रवृत्ति के लिये मात्रा, अवधि, पात्रता के लिये प्रतिशत, आय-सीमा एवं मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का उल्लेख संलग्न अनुसूची में किया गया है।

3. छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं छात्रों को दी जायेंगी जो छत्तीसगढ़ में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शासकीय शिक्षा-संस्था में अध्ययन कर रहे हों।
उपबंध— इसके अतिरिक्त मेरिट के आधार पर निर्धारित संख्या में AICTE द्वारा अनुमोदित राज्य के बाहर की संस्था में बीई/बीटेक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करने के लिये वृत्तियां दी जा सकेंगी । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा उसी परिसर में संचालित संस्था में नियमित अध्ययनरत छात्र भी छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे. भले ही उनको AICTE से अनुमोदन की आवश्यकता न हो।

4. नियम 3 में किये गये उपबन्ध के अनुसार ये छात्रवृत्तियां, देश की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं (IITs) में तथा शासकीय (केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित) अन्य उच्चतर तकनीकी संस्थाओं जैसे (NITs) एवं विज्ञान-शिक्षा संस्थाओं जैसे (IISc) में इंजीनियरी में उपाधि पाठ्यक्रम के लिये पात्र छात्रों को दी जाएंगी। भले ही उनको AICTE से अनुमोदन की आवश्यकता न हो।

5. शासन इन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले विशेष मामलों में योग्य छात्रों को, निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर प्रत्येक अध्ययन-पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित दर से विशेष छात्रवृत्तियां देगा । इस संबंध में किया जाने वाला कुल वार्षिक व्यय बजट सीमा से अधिक नहीं होगा ।

6. शासन की विशेष मंजूरी के बिना कोई भी छात्र एक ही समय में एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेगा। तथापि वह जिस संस्था में अध्ययन कर रहा हो, उसके द्वारा यदि उसे फीस संबंधी कोई रियायत दी गई हो, तो उसे प्राप्त करते रहने का हकदार होगा।

7. यदि कोई छात्रवृत्ति उसके चालू रहने के दौरान रिक्त हो जाय तो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी ऐसी छात्रवृत्तियां उसकी असमाप्त अवधि के लिये मेरिट सूची से उसके बाद के योग्य तथा पात्र उम्मीदवार को दे सकेगा।

8. इन नियमों के अधीन केवल वे छात्र छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसी परीक्षण निकाय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। परंतु छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थायी शासकीय कर्मचारियों के बालकों को इस शर्त से छूट दी जा सकेगी जो भारत सरकार या अन्य राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर हो।

9. इन नियमों के अधीन ऐसे छात्र छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं होंगे, जो पूर्ण कालिक नियोजन में हो इस संबंध में केवल एक ही रियायत दी जा सकती है कि ऐसे किसी छात्र को, जो मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित अध्ययनरत हो और जिसे कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो, कोई अंशकालिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।

10. छात्रवृत्ति पाने वाले किसी छात्र का राज्य के भीतर किसी एक शासकीय संस्था से दूसरे शासकीय संस्था में स्थानांतरण होने पर, उसे ऐसी असमाप्त अवधि के लिये छात्रवृत्ति उस संस्था से प्राप्त होगी जहां कि उसे स्थानांतरित किया गया हो, बशर्ते कि वह उसी अध्ययन कम ब्रांच/पाठयक्रम को जारी रखे जिसके लिये उसे प्रारंभ में वृत्ति प्रदान की गई थी। निजी/स्वशासी संस्था में स्थानांतरण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता समाप्त हो जायेगी ।

11. इन नियमों के अधीन सभी छात्रवृत्तियां दस माह के शिक्षा सत्र के लिये देय होगी। वास्तविक भुगतान प्रत्येक शिक्षा वर्ष में प्रवेश लेने की तारीख से अप्रैल अंत तक प्रतिवर्ष किया जायेगा।

दो – भुगतान

12. छात्रवृत्तियों से संबंधी समस्त भुगतान वृत्ति पाने वाले छात्र की संतोषजनक प्रगति, नियमित उपस्थिति तथा सदाचरण पर ही प्रतिमाह किये जायेंगे :–

(क) शासकीय संस्थाओं के संबंध में, यदि संस्था प्रमुख को आहरण तथा वितरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हो तो छात्रवृत्ति की रकम, उसके द्वारा प्रतिमाह निकाली जायगी और संबंधित छात्रों को उसका भुगतान निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आगामी माह की 10 तारीख तक अवश्य कर दिया जायगा।

(ख) राज्य के बाहर स्थित संस्थाओं के मामले में संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की रकम वर्ष के अंत में संबंधित के पास भेजी जायेगी। संबंधित संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रत्येक को छात्र छात्रवृत्ति की रकम वितरित कर दी गई है और वह नियंत्रण प्राधिकारी को, प्रत्येक छात्र से पृथक रूप से प्राप्त की गई रसीद भी भेजेगा।

13. छुट्टी के दौरान छात्रवृत्तियों का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा, यदि ऐसी अनुपस्थिति का कारण बीमारी हो और उसके लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो :–

(एक) समस्त छात्रों के लिये

(क) पूरी छात्रवृत्ति, यदि ऐसी अनुपस्थिति दो माह से अधिक न हो ।

(ख) आधी छात्रवृत्ति, यदि ऐसी अनुपस्थिति दो माह से अधिक किन्तु चार माह से अधिक न हों।

(दो) विवाहित छात्राओं के लिये

(क) प्रसुति के कारण तीन माह तक अनुपस्थिति रहने पर पूरी दर पर छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ख) यदि प्रसुति के कारण ऐसी अनुपस्थिति तीन माह से अधिक हो तो कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(तीन) उपर्युक्त सभी मामलों में उल्लिखित दरों पर छात्रवृत्तियां केवल उसी स्थिति में दी जायेंगी जब कि संस्था प्रमुख, आवेदन–पत्र पर सिफारिश करें और यह प्रमाणित करें कि छात्र अध्ययन की शेष अवधि के दौरान अपने व्याख्यानों तथा अध्ययन की कमी को पूरा कर सकेगा।

(चार) छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र तथा छात्रा को छात्रवृत्ति तब तक मिलती रहेंगी जब तक कि उसका नाम किसी संस्था की उपस्थिति पंजी में दर्ज रहे ।

तीन – नवीनीकरण, निलम्बन तथा रद्करण

14. इन नियमों के अधीन छात्रवृत्तियां संतोषजनक प्रगति, सदाचरण तथा अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा **करने पर अध्ययन कम की** अवधि पूरी होने तक जिसके लिए वे दी गई हों, वर्ष प्रतिवर्ष नवीनीकृत **की जायेंगी।**

15. **यदि** कोई छात्र किसी ऐसी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह अगली उच्च कक्षा में चढ़ाया जाता, तो उसकी वृत्ति इन नियमों के नियम 19 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर सभी मामलों में रद्द कर दी जाएगी।

16. यदि किसी छात्र को कम्पार्टमेंट/सप्लीमेंन्टरी मिले तो छात्रवृत्ति निलम्बित कर दी जाएगी तथा यदि वह कम्पार्टमेन्ट/सप्लीमेन्टरी परीक्षा में उसी वर्ष उत्तीर्ण हो जाए तो उसक छात्रवृत्ति नवीकृत कर दी जाएगी। ऐसा नवीकरण कम्पार्टमेन्ट/सप्लीमेन्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी।

17. सदाचरण तथा नियमित उपस्थिति भी छात्रवृत्तियों को जारी रखने की शर्त है, संस्था के प्रमुख को किसी छात्र की स्वभावगत अनियमितता दुर्व्यवहार, हड़ताल में भाग लेने या अन्य प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्ति निलबंन/रद्द करने का अधिकार रहेगा। तथापि निलंबन/रद्दकरण से असंतुष्ट होने पर छात्र संचालक को निलंबन/रद्दकरण वापसी हेतु अपील कर सकेगा ।

चार – बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थता

18. यदि कोई छात्र बीमारी के कारण कुछ प्रश्नपत्रों में न बैठ सकने कारण सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षा न दे सका हो तो, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस पर उस जिले के जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा हो, District Medical Board से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आगामी शिक्षा वर्ष में उसी अध्ययन कम के लिए उसकी छात्रवृत्ति को नवीकृत किया जा सकेगा ।

पॉच– छात्रवृत्ति की संख्या ,राशि, स्वीकृत कर्ता, निर्धारित अर्हतायें एवं प्रकिया

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक/कन्या पॉलीटेक्निक तथा राज्य के बाहर संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिये निम्नलिखित संख्या में एवं राशि की छात्रवृत्तियॉ/शिष्यवृत्तियॉ उपलब्ध हैं। इनकी स्वीकृति हेतु निर्धारित अर्हतायें एवं प्रकिया निम्न अनुसूची में दिया गया है ।

क्र.	छात्रवृत्ति का नाम	संख्या	राशि	प्रकिया एवं अर्हतायें एवं स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी
01.	**योग्यता छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग महा.** (अ) बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु । (ब) लेटरल एण्ट्री के तहत द्वितीय वर्ष बी. ई. में नवीन प्रवेशित छात्रों के लिये	13 03	1000 रू. प्रतिमाह 1000 रू. प्रतिमाह	इन छात्रवृत्ति के लिये 10वीं + 12वीं की परीक्षा छ. ग. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूननतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी । आय का कोई बंधन नहीं है। द्वितीय वर्ष बी.ई. में नवीन प्रवेशित डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा की अंतिम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण होना चाहिये। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आवेदन–पत्र अंक सूचियों एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आय का कोई बंधन नहीं है। **स्वीकृत कर्ता नवीन – संचालक, नवीनीकरण–प्राचार्य**
02.	**योग्यता छात्रवृत्ति पॉलीटेक्निक संस्थाऐं** (अ)प्रथम वर्ष डिप्लोमा में नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिये (ब) लेटरल एण्ट्री तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए	54 11	600 रू. प्रतिमाह 600 रू. प्रतिमाह	10+2 प्रणाली की 10वीं/12वीं की परीक्षा छ.ग. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूननतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र अंकसूचियों एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आय का कोई बंधन नहीं है। द्वितीय वर्ष डिप्लोमा में नवीन प्रवेशित आईटीआई /12 व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारी छात्र/छात्राओं को अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण होना चाहिये। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आवेदन–पत्र अंक सूचियों एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आय का कोई बंधन नहीं है। **स्वीकृत कर्ता नवीन – संचालक, नवीनीकरण–प्राचार्य**
03.	**योग्यता सह साधन छात्रवृत्तियॉ इंजीनियरिंग महा.** (अ) छात्र/छात्राओं दोनो के लिए (ब) केवल छात्राओं के लिए (स)द्वितीय वर्ष बी.ई. में नवीन प्रवेशित डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं के लिये	प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित संख्या के अनुसार सूची संलग्न प्रपत्र–1	1000 रू. प्रतिमाह	इन छात्रवृत्तियों के लिये 10+2 की परीक्षा 12वीं की परीक्षा छ.ग. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूननतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र अंकसूचियों एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन–पत्र संस्था के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिये अंतिम तिथि संबंधित संस्था के प्राचार्य ही निश्चित करेंगे । इसके लिये छात्र के पिता/पालक की कुल वार्षिक आय रूपये 2,50,000/ से अधिक नहीं होना चाहिये । **स्वीकृत कर्ता नवीन एवं नवीनीकरण दोनों – प्राचार्य**

04.	**योग्यता सह साधन पॉलीटेक्निक संस्थायें** **(अ) छात्र/छात्राओं दोनो के लिए** **(ब) केवल छात्राओं के लिए** **(स)द्वितीय वर्ष डिप्लोमा में** नवीन **प्रवेशित आईटीआई**/12 वी **व्यवसायिक छात्र/छात्राओं** के **लिये**	प्रत्येक संस्था के लिए आबंटित संख्या के अनुसार सूची संलग्न प्रपत्र–2	600 रू. प्रतिमाह	इन छात्रवृत्तियों के लिये 10+2 की परीक्षा 10/12वीं की परीक्षा छ.ग. में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र अंकसूचियों एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन–पत्र संस्था के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिये अंतिम तिथि संबंधित संस्था के प्राचार्य ही निश्चित करेंगे । इसके लिये छात्र के पिता/पालक की कुल वार्षिक आय रूपये 2,50,000/– से अधिक नहीं होना चाहिये । **स्वीकृत कर्ता नवीन एवं नवीनीकरण दोनों – प्राचार्य**
05	**राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थाओं मे अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति**	08	2000 रू. प्रतिमाह	छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी विद्यार्थी जो राज्य के बाहर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम अध्ययनरत् है । अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी। आय का कोई बंधन नहीं है । **स्वीकृत कर्ता – संचालक**

मेरिट छात्रवृत्ति की संख्या परिवर्तनीय है एवं इनकी संख्या = कुल प्रवेश क्षमता ÷ 60 से **अधिक नहीं** होगी । उसी प्रकार मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति की संख्या भी परिवर्तनीय है। यह कुल प्रवेश **क्षमता** ÷ 15 होगी। यदि किसी वर्ष में किसी संस्था की प्रवेश क्षमता बढ़ती है तो उसी अनुपात में **छात्रवृत्ति की** संख्या बढ़ाई जा सकेगी ।

टीपः

1. योग्यता छात्रवृत्तियों तथा योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियों को नवीनीकरण इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक संस्थाओं दोनो के लिये :–

जिन छात्र/छात्राओं को गत सत्र में योग्यता छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति स्वीकृत की गई थी, **उन्हें अगली** कक्षा में नवीनीकरण की स्वीकृति की नियमानुसार पात्रता होगी। बशर्ते कि उनके द्वारा पूर्व **कक्षा की परीक्षा** पूर्ण रूप से सभी विषयों में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की गई हो, नवीनीकरण प्राचार्यो द्वारा **ही किया जायेगा** । जिन छात्रवृत्तिधारी छात्र/छात्राओं को पूरक परीक्षा की पात्रता हो उन्हें अगली कक्षा **में छात्रवृत्ति के** नवीनीकरण की नियमानुसार पात्रता होगी बशर्ते कि संबंधित विषयों की परीक्षा पूरक **परीक्षा उसी वर्ष पूर्ण** रूप से उत्तीर्ण हो जाये । ऐसा नवीनीकरण उत्तीर्ण करने की तिथि से किया जावेगा । **नवीनीकरण** हेतु आवेदन–पत्र छात्रवृत्तिधारी छात्र/ छात्राओं को पूर्व कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने **बाबत् मंडल**/विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अंकसूची की प्रतिलिपि के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना चाहिये । यदि कोई छात्रवृत्तिधारी छात्र/छात्रा वार्षिक परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता/जाती है, तो उसकी छात्रवृतित निरस्त हो जावेगी तथा उक्त कारण से हुई रिक्त छात्रवृत्ति अगली कक्षा के अन्य छात्र/छात्रा को नियमानुसार स्वीकृत की जावेगी ।

2. रिक्त योग्यता छात्रवृत्तिः—

प्रत्येक कक्षा में रिक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा । गत सत्र मे उत्तीर्ण की गई परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिये छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन—पत्र अंकसूचियों एवं आवश्यक प्रमाण—पत्रों के साथ प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन—पत्र संस्था के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

3. रिक्त योग्यता सह साधनः छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्तिः—

प्रत्येक कक्षा में रिक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता के अनुसार दिया जायेगा । रिक्त **शिष्यवृत्ति** संस्था प्रमुख द्वारा सूचित किये जावेंगे । गत वर्ष में उत्तीर्ण की गई परीक्षा में न्यूनतम 45 **प्रतिशत प्राप्त** करना आवश्यक है ।

आबंटित छात्रवृत्ति की संख्या मेरिट/मेरिट कम मीन्स संस्था की प्रवेश क्षमता **के अनुपात में** परिवर्तनीय है। किसी भी छात्र—छात्रा को केवल एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा **आदेशानुसार,**

अमृता बेक, उप-सचिव.

प्रपत्र–1

राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में लागू की जाने वाली विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के संशोधित संख्या प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष (लेटरल ऐण्ट्री) में दिये जाने के लिये सत्र 2013–14 से लागू

स. कं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्तमान संख्या	संशोधित संख्या
1.	मेरिट स्कॉलरशिप	13	13
2.	मेरिट स्कॉलरशिप (लेटरल एंट्री)	03	03
	कुल मेरिट स्कॉलरशिप	**16**	**16**
3	मेरिट कम **मीन्स स्कॉलरशिप**, छात्र छात्रा दोनों के लिए		
	1. शास. इंजीनियरिंग **महाविद्यालय बिलासपुर**	11	17
	2. शास. इंजीनियरिंग **महाविद्यालय,जगदलपुर**	06	18
	3. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	30	19
4.	मेरिट कम मीन्स लेटरल एंट्री स्कॉलरशिप		
	1. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर	01	02
	2. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय,जगदलपुर	01	02
	3. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	03	02
5	मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप केवल छात्राओं के लिए		
	1. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर	0	5
	2. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय,जगदलपुर	0	5
	3. शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	0	6
	कुल मेरिट कम मीन्स	**52**	**76**
6	राज्य के मूल निवासी छात्र जो राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हैं	08	08
	सकल योग (सभी को मिलाकर)	**76**	**100**

मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (छात्र–छात्रा दोनों के लिए) पहले दिया जायेगा । यदि कोई छात्रा का **नाम मेरिट के** आधार पर इसमें आता है तो उसकी गिनती केवल छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में नहीं की जाएगी ।

प्रपत्र—2

राज्य के शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लागू की जाने वाली विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के संशोधित संख्या प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष (लेटरल ऐण्ट्री) में दिये जाने के लिये

सत्र 2013—14 से लागू

क	स्कालरशिप का नाम	वर्तमान संख्या				संशोधित संख्या			
1	मेरिट स्कॉलरशिप	13				54			
2	मेरिट स्कॉलरशिप (लेटरल एण्ट्री)	0				11			
3	मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप	छात्र छात्रा दोनों के लिए	केवल छात्राओं के लिए	लेटरल ऐण्ट्री के लिए	कुल	छात्र छात्रा दोनों के लिए	केवल छात्राओं के लिए	लेटरल ऐण्ट्री के लिए	कुल
3.1	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	22	0	0	22	26	8	5	39
3.2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर	10	0	0	10	16	5	3	24
3.3	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी	11	0	0	11	19	6	4	29
3.4	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा	11	0	0	11	12	4	2	18
3.5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर	3	0	0	3	6	2	1	9
3.6	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़	2	0	0	2	13	5	3	21
3.7	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़	14	0	0	14	21	6	4	31
3.8	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर	4	0	0	4	17	0	3	20
3.9	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	3	0	0	3	13	0	2	15
3.10	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव	1	0	0	1	7	0	1	8
3.11	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद	0	0	0	0	8	2	2	12
3.12	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर—चॉपा	0	0	0	0	8	2	2	12
3.13	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम	0	0	0	0	6	2	1	9
3.14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया	0	0	0	0	6	2	1	9
3.15	शासकीय पॉलीटेक्निक, बीजापुर	0	0	0	0	6	2	1	9
3.16	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर	0	0	0	0	6	2	1	9
3.17	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	0	0	0	0	6	2	1	9
3.18	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर	0	0	0	0	6	2	1	9
3.19	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर	0	0	0	0	9	0	2	11
3.20	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर	0	0	0	0	6	2	1	9
	कुल मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	81	0	0	81	217	54	41	312
	सकल योग (सभी को मिलाकर)	**94**	**0**	**0**	**81**	**282**	**54**	**41**	**377**

मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (छात्र—छात्रा दोनों के लिए) पहले दिया जायेगा । यदि कोई छात्रा का नाम मेरिट के आधार पर इसमें आता है तो उसकी गिनती केवल छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में नहीं की जाएगी ।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.